POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! हाल ही सम्पन्न हुए आम चुनावों में सभी जातिगत अवरोधों को तोड़ते हुए लोगों ने नरेन्द्र मोदी जी और उनके उम्मीदवारों के लिए भारी मतदान किया। मोदी जी ने अपने विजय भाषण में दो उल्लेखनीय बातें कहीं। सर्वप्रथम, देश में केवल दो जातियां ही रह जाएंगी, गरीब और गरीबी घटाने में योगदान करने वाले। इसके लिए, आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता सरकार के कार्यकाल में नया मंत्र होना चाहिए।

दूसरा, उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर नए मिशन में काम करेंगे। भारी बहुमत की वजह से उन्हें यह कहना जरूरी नहीं था। इसके लिए महत्वपूर्ण हैं- पार्टी कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों द्वारा इस भावना का सम्मान।

साथ ही, स्वच्छ भारत अभियान और उज्ज्वला योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत संसाधनों का आवंटन जारी रहना चाहिए, लेकिन ऐसी योजनाओं का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीबों को ऐसे संसाधनों से लाभ मिलता रहे।

उन्हें जल निकासी न होने के कारण शौचालयों का या रिफिल की अनुपलब्धता के कारण सिलेंडर का उपयोग बंद न करना पड़े। वास्तविक और श्रम सघन क्षेत्रों में पर्याप्त आय-सृजन के अवसर प्रदान करने वाले प्रशासनिक और पूरक सुधार मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

हमारा ध्येय 2030 तक करीब 70 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने का है। गरीबी उन्मूलन की अपनी अनिवार्यता के कारण लक्ष्य को और पहले पाने की जरूरत है। इस विजन में मोदी जी को नए ढांचागत सुधारों को आगे ले जाने होंगे जो 'कोई पीछे न छूटे' के संकल्प को सुनिश्चित करेगा।

शुद्ध का मतलब नहीं लिखा तो 10 लाख रुपए जुर्माना

खाद्य पदार्थों के पैकेट्स पर नैचुरल, पारंपरिक और शुद्ध लिखकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। निर्माता कंपनियां प्रोडक्ट की परिभाषा खुद तैयार कर ग्राहकों से मनमाने दाम वसूल रही हैं। लेकिन अब उपभोक्ता से ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली (एफएसएसआई) ने कंपनियों पर नकेल कसने के लिए नैचुरल, शुद्ध व पारंपरिक की परिभाषा तय कर दी है। कोई कंपनी गलत दावे करती है, तो उसे 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। एफएसएसआई ने सभी राज्यों को एक जुलाई 2019 से लागू नियमों की पालना के आदेश दिए हैं।

- नैचुरल: अब सिर्फ उन खाद्य पदार्थों के साथ प्राकृतिक शब्द का इस्तेमाल होगा जो सीधे तौर पर पौधे, मिनरल या जानवरों से प्राप्त होंगे। इनमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए।
- ओरिजनल: जिन खाद्य पदार्थों के स्त्रोत की जानकारी आसानी से ग्राहक को मिल सकती है उसी उत्पाद के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्पाद की क्वालिटी और टेस्ट में वर्षों बाद भी बदलाव नहीं होना चाहिए।
- पारंपरिक: पारंपरिक उत्पाद कह कर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कंपनी को यह साबित करना होगा कि पिछले 30 वर्षों से उत्पाद को उसी फार्मूले और तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया जा रहा है।

लापरवाही बरतने पर दो अस्पतालों पर 44 लाख रुपए का हर्जाना

मुरलीपुरा निवासी बनारसी देवी ने मुरलीपुरा स्थित पिंकसिटी हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल और विद्याधर नगर स्थित दाना शिवम हार्ट एंड सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि सीने में दर्द होने पर उन्होंने अपने पति जय सिंह को 14 फरवरी 2016 को पिंक सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उन्हें हार्ट अटैक होने के बावजूद फेफड़ों में संक्रमण होना माना। जबकि यहां कराए गए कार्डियोग्राफ में उन्हें हार्ट अटैक होना पाया गया। सीने में पुनः तेज दर्द होने पर उन्हें दाना शिवम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उनकी एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की गई। लेकिन उनकी तबियत में सुधार नहीं हुआ। उन्हें एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 15 मार्च को उनकी मौत हो गई।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई पर पिंक सिटी हॉस्पिटल और दाना शिवम हॉस्पिटल को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना। आयोग ने दोनों अस्पतालों को आदेश दिया कि वे 22-22 लाख रुपए परिवादी बनारसी देवी को बतौर हर्जाना अदा करें। साथ ही 8 जून 2016 से इस राशि पर उन्हें 9% की दर से ब्याज भी दिया जाए।

अमीरी-गरीबी के बीच बढ़ती खाई

भारत में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ने का सिलसिला जारी है। चुनावों में हर राजनीतिक दल गरीबों की गरीबी दूर करने का नारा बुलंद करते रहे हैं। लेकिन गरीब की गरीबी दूर नहीं हो रही।

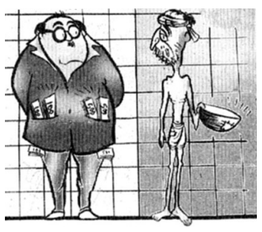

असमानता की इस बढ़ती खाई की हकीकत पर ऑक्सफेम नामक संगठन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि देश के अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल हर दिन 2200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अमीरों की संपत्ति में 39 फीसदी की बढ़ोतरी हुई जबकि कम से कम पैसों वालों की 50 फीसदी आबादी की संपत्ति केवल 3 फीसदी बढ़ी है।

देश के नौ अरबपतियों की कुल संपदा नीचे की 50 फीसदी जनसंख्या की संपदा के बराबर है। क्या हमारी नई सरकार ऑक्सफेम की इस रिपोर्ट पर गहनता से विचार करेगी?

जैविक खाद का उत्पादन होगा अनिवार्य

उर्वरक कंपनियों के लिए रासायनिक खाद के साथ ही कम से कम 10 फीसदी जैविक खाद के उत्पादन को अनिवार्य किया जा सकता है। राष्ट्रीय कामधेनू आयोग सरकार से इसकी सिफारिश कर सकता है। आयोग का मानना है कि इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही आयातित उर्वरक पर निर्भरता कम होगी।

आयोग का मानना है कि इस कदम से खेती की लागत में कमी लाई जा सकती है। देश में इस समय तकरीबन 92 प्रतिशत रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेती में हो रहा है। इससे मिट्टी की उर्वरता घटने के साथ ही कृषि उत्पादों की गुणवत्ता भी खराब हो रही है।

पीने के पानी की हो पुख्ता व्यवस्था

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब दो करोड़ 49 लाख 20 हजार लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं हो पाता। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जहां भी जरूरत हो वहां पर टैंकरों से पानी सप्लाई की व्यवस्था की जाए।

साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 3140 आरओ प्लांट्स एवं 1450 सौर ऊर्जा चलित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। ताकि गर्मी में पेयजल की समस्या नहीं हो। कोई भी खराबी होने पर इन्हें तुरंत ठीक किया जाए ताकि जलापूर्ति बाधित नहीं हो।

आवास योजना के नहीं बदले हालात

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। प्रदेश में करीब 83 हजार 380 आवास ऐसे हैं, जो प्रथम किश्त के हस्तांतरण के बाद भी अभी अधूरे पड़े हैं। जबकि इन आवासों को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग पिछले छह महीने में जिला परिषदों को 13 बार पत्र लिख चुका है।

सामने यह आया है कि ऐसे आवासों की जिला और पंचायत समिति स्तर पर समय रहते समीक्षा नहीं हो रही है। नियमों के अनुसार एक साल के अंदर आवास पूरे करना जरूरी है। धरातल पर हालात यह है कि पिछले तीन सालों में कुल 72 हजार 626 आवास अभी तक प्रथम किश्त हस्तांतरण अपूर्ण या प्रगतिरत हैं।

प्रसव पूर्व देखभाल में पिछड़ा राजस्थान

मातृ व शिशु मृत्यु दर सहित कई अन्य स्वास्थ्य सूचकांकों में राजस्थान निचले पायदान पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 के अनुसार प्रदेश प्रसव से पूर्व माताओं की देखभाल के मामले में भी पिछड़ा है। सर्वे में देखा गया कि गर्भवती महिला प्रसव से पहले कितनी बार प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल पहुंची।

प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य मां व गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य, विकास व पोषण पर नजर रखना है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व सुविधायुक्त अस्पताल नहीं होना, अत्यंत छोटे गांवों-ढाणियों में अस्पताल है भी तो वहां स्त्री रोग विशेषज्ञों का नहीं होना, पिछड़ने का मुख्य कारण माना गया है। जिससे आज भी संस्थागत प्रसव 100 प्रतिशत नहीं है।

मनरेगा: बढ़ने लगा सौ दिन का आंकड़ा

प्रदेश में मनरेगा योजना में कार्यों की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सौ दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सौ दिन काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या 5.88 लाख तक पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2017-18 में यह संख्या महज 2.28 लाख परिवार ही थी।

आंकड़ों के अनुसार सौ दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2016-17 में 4.27 लाख थी और उसके अगले वर्ष यह संख्या तकरीबन आधी रह गई थी। मनरेगा की कई श्रेणियों में राज्य को देशभर में अच्छी रैंकिंग मिल रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा और अधिक होने का अनुमान है।

एकल शिक्षक के भरोसे पूरा प्रदेश

प्रदेश के 64,278 सरकारी स्कूलों में से 9008 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे पर चल रहे हैं। सरकार की अधिकारिक रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। जिस दिन शिक्षक अवकाश पर रहता है, उस दिन स्कूल में अघोषित छुट्टी हो जाती है। इनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल हैं।

यह ही नहीं प्रदेश में आज भी 167 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं हैं। ये स्कूल सड़क पर या पेड़ के नीचे खुले में चल रहे हैं। विचारणीय यह है कि जहां स्कूलों में हर साल बच्चों की संख्या और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की ओर से शहरों से लेकर गांवों तक अभियान चलाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की 2017-18 की यह रिपोर्ट राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करती है।

मोदी जी के तीन वादे

मेरा वादा
मेरा संकल्प
और मेरी प्रतिबद्धता

- बदइरादे या बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा
- मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा
- मेरा पल-पल और मेरा कण-कण देश वासियों को समर्पित होगा

जब मेरा मूल्यांकन करें तो संकल्पों के तराजू पर जरूर कसना, कमी रह जाए तो कोसना भी।

नरेन्द्र मोदी

मिलावट रोकने के लिए 'मुखबिर योजना'

प्रदेश में राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के आधार पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट की रोकथाम के लिए राज्य व जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां खाद्य सामग्रियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी।

इसके अलावा मिलावट के बढ़ते कारोबार पर रोक के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा 'मुखबिर योजना' लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। इसके तहत मिलावट की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखते हुए उसे इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने योजना का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है।

कमीशन के लिए किसानों को लोन

श्रीगंगानगर में रोक के बावजूद 15 करोड़ रुपए के लोन देने के घोटाले ने सहकारी बैंकों में कमीशन के खेल को उजागर कर दिया है। ब्याज मुक्त लोन के लिए किसानों से सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारी कमीशन लेते हैं।

किसान जहां लोन के लिए बैंक में चक्कर लगाते हैं वहीं श्रीगंगानगर में किसानों को बुला-बुलाकर लोन दिया गया है। एक ही शाखा ने मनाही के बावजूद छह करोड़ रुपए से भी ज्यादा के लोन बांट दिए।

तीन माह पहले कमीशन का ऑफर तत्कालीन एमडी के पास पहुंचा तो इस खेल का भांडा फूटा। जांच शुरू हुई जिसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा शाखाओं में घपला सामने आया। विस्तृत जांच होने पर यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

विद्युत उपभोक्ता क्षमता निर्माण परियोजना

'कट्स' इंटरनेशनल विद्युत उपभोक्ताओं के दायित्व और अधिकारों को लेकर प्रारंभ से ही काफी सक्रिय रहा है। इसी कड़ी में, 28 मार्च, 2019 को विद्युत सुधार से संबंधित 'विद्युत उपभोक्ता क्षमता निर्माण (सी.बी.ई.सी.) परियोजना' का जयपुर में शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना का संचालन 'कट्स' इंटरनेशनल और 'बास्क रिसर्च फाउंडेशन' द्वारा 'शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन' के सहयोग से किया जा रहा है।

प्रथम चरण में इस परियोजना के तहत राजस्थान के चार जिलों की छह पंचायत समितियों (चितौड़गढ़ में भदेसर और चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में बौंली और सवाई माधोपुर, बीकानेर में कोलायत तथा जोधपुर में फलौदी) में 'उपभोक्ता सहायता केन्द्र (कोनास्क)' की स्थापना की जाएगी। ये सहायता केन्द्र उपभोक्ताओं को समस्या निवारण व्यवस्था और प्रक्रियाएं, दायित्व और अधिकार एवं विद्युत संबंधित मूलभूत समस्याओं की जानकारी प्रदान करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं का विद्युत शासन व्यवस्था से सरोकार बढ़ाना है, जिससे वे नीति निर्धारण और विनियामक प्रणाली में सहभागी बन पाएं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर